

निर्णय:- अमराराम बनाम धर्माराम वगै.

डिग्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
 बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0
 -:वादी:- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. अमराराम पुत्र
 बगदूराम जाति
 रेगर निवासी
 बलाडा तहसील
 जैतारण जिला
 ब्यावर राजस्थान

1. मोतीराम पुत्र घीसाराम जी (फौत) के कायम मुकाम
 1/1 धर्माराम पुत्र मोतीराम
 1/2 श्यामलाल पुत्र मोतीराम
 1/3 हाथीराम पुत्र मोतीराम
 1/4 छोटूराम पुत्र मोतीराम
 1/5 किनूडी पत्नी मोतीराम
2. नवलाराम पुत्र घीसाराम जी
3. भाणूराम पुत्र घीसाराम जी
4. बिदामी पुत्री घीसाराम जी
5. पिस्ता पत्नी दलाराम जी
 जातियान रेगर निवासी बलाडा
6. गुदडराम पुत्र भंवराराम जी जाति गुर्जर
 निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला
 ब्यावर राजस्थान
7. पटवारी महोदय, पटवार हल्का बलाडा
8. उपपंजीयन अधिकारी, पंजीयन कार्यालय जैतारण
9. तहसीलदार तहसील कार्यालय जैतारण

मु0न0 :रा0वा0स0- 70/2019 (92/2012)

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी का अबुतोष वादी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।


बीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20.05.2026

को जारी किया गया।

मोहर




 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक), जैतारण
 जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय:- अमराराम बनाम धर्मराम वगै.

वर्ग	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00		स्टाम्प वकालतनामा	3.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुकमनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुकमनामा	23.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	29.00		मिजान:-	3.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।



[Signature]
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 जालंधर, जिला-जालंधर